

#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

# प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 9921

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 12, 2017/अग्रहायण 21, 1939 NEW DELHI TUESDAY, DECEMBER 12, 2017/ AGRAHAYANA 21, 1939

No. 992]

#### विदेश मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2017

सा.का.नि. 1505(अ).—उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का 31) की धारा 43 द्वारा प्रदत्त षिक्तयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने एतदद्वारा उत्प्रवास नियम, 1983 में अतिरिक्त संषोधन करने हेतू निम्नलिखित नियम बनाएं हैं, जो कि निम्नानुसार हैं :-

- 1. (1) इन नियमों को उत्प्रवास (संषोधन) नियम, 2017 के नाम से जाना जाएगा।
  - (2) सरकारी राजपत्र में प्रकाषित होने की तिथि से ही इन्हें लागू किया जाएगा।
- 2. उत्प्रवास नियम, 1983 में, नियम ७ (2) में, कोष्टक और षब्दों (पच्चीस हजार रू. का पुल्क) को कोष्टक और षब्दों (नियम 8 (क) के अंतर्गत षामिल होने वाले मामलों में पच्चीस हजार रू. का षुल्क और नियम 8 (ख) के अंतर्गत षामिल होने वाले मामलों में दस हजार रू. का पुल्क) से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- 3. उत्प्रवास नियम, 1983 में नियम 8 हेतु अनुगामी नियम को निम्नलिखित अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्
- "8. जमा राशि— (क) अधिनियम के खण्ड 11 के उप खण्ड (2) के अंतर्गत पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा सूचित करने पर, आवेदक, इस खण्ड के उप खण्ड (3) के तहत जमा राषि के रूप में पचास लाख रू की राषि को बैंक गारन्टी के रूप में आठ साल और छ: महीने की अवधि वाली वैधता के साथ प्रदान करेगा।
- (ख) प्रावधान के अनुसार भर्ती एजेंट के रूप में पंजीकरण के इच्छ्क कोई भी इकाई आठ लाख रू. की कम जमा राषि से भी ऐसा कर सकती है और ऐसी ईकाई को पंजीकरण करने के लिए निर्धारित की गई अवधि के दौरान केवल 100 कामगारों की ही भर्ती करने की अनुमति दी जाएगी।
- (ग) आगे यह भी प्रावधान किया जाता है कि जब निर्धारित संख्या की भर्ती पूरी होने वाली होगी तब प्रमाण-पत्र के समाप्त होने से पहले. प्रमाण-पत्र धारक को पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा आठ लाख रू. प्रति 100 अतिरिक्त कामगार की अतिरिक्त

7136 GI/2017 (1) संबंधित सुरक्षा राषि देने पर, प्रमाण–पत्र के समाप्त होने की तिथि तक 100–100 अतिरिक्त कामगारों की भर्ती करने की अनुमति दी जाएगी।

> [फा. सं. जेड-11025 / 75 / 2017- उत्प्रवास] एम. सी. लूथर, संयुक्त सचिव और उत्प्रवास महासंरक्षी

नोट:-मुख्य नियमों को अधिसूचना संख्या का.आ. 941(अ), दिनांक 30 दिसम्बर, 1983 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाषित किया गया था और तत्पष्चात् निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं के तहत संषोधित किया गया :-

1. का.आ. 665 (अ), दिनांक 10 सितंबर, 1986;
2. सा.का.नि. 111(अ), दिनांक 24 फरवरी, 1987;
3. सा.का.नि. ३७५(अ), दिनांक २३ मार्च, १९८९;
4. का.आ.111 (अ), दिनांक ८ फरवरी, 1996;
5. का.आ. १५९ (अ), दिनांक २८ फरवरी, १९९६;
6. का.आ. ५२६ (अ), दिनांक २२ जुलाई, १९९६;
7. सा.का.नि. ७१३(अ), दिनांक १८ अक्तूबर २००२;
8. का.आ. 1205(अ), दिनांक 14 अक्तूबर, 2003;
9. सा.का.नि. 143(अ), दिनांक 26 फरवरी, 2004;
१०.सा.का.नि. ७७७(अ), दिनांक २५ नवम्बर, २००४;
11.सा.का.नि. 50(अ), दिनांक ६ फरवरी, 2006;
12.का.आ. २८९ (अ), दिनांक ७ मार्च, २००६;
13.का.आ. 856 (अ), दिनांक ६ जून, 2006;
14.का.आ. २१६१ (अ), दिनांक २८ दिसम्बर, २००६;
15.का.आ. ३६६ (अ), दिनांक १४ मार्च, २००७;
16.का.आ. ७७६ (अ), दिनांक १८ मई, २००७;
17.सा.का.नि. ६५८(अ), दिनांक १५ अक्तूबर, २००७;
18.सा.का.नि. 111(अ), दिनांक ८ फरवरी, 1996;
19.सा.का.नि. 511(अ), दिनांक ९ जुलाई, २००९;
20.सा.का.नि. 726(अ), दिनांक 21 सितम्बर, 2015;

# MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2017

G.S.R. 1505(E).— In exercise of the powers conferred by section 43 of the Emigration Act, 1983 (31 of 1983), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Emigration Rules, 1983, namely:-

### 1. Short title and commencement:

- (1) These rules may be called the Emigration (Amendment) Rules, 2017.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Emigration Rules, 1983, in rule 7 (2), for the brackets and words [fee of twenty–five thousand rupees], the brackets and words [fee of twenty-five thousand rupees in cases covered under Rule 8 (a) and ten thousand rupees in cases covered under Rule 8 (b)] shall be substituted.
- 3. In the Emigration Rules, 1983, under rule 8, the following shall be substituted, namely
  - "8. **Amount of Security** (a) The applicant on being informed by the registering authority under sub-section (2) of section 11 of the Act, shall provide a bank guarantee of eight and

half years validity for an amount of fifty lakh rupees as security under sub-section (3) of that section.

- (b) Provided that any entity desirous of registering as recruiting agent may do so with a reduced security of rupees eight lakh also, such entity shall be permitted to recruit only 100 workers during the period for which registration is granted.
- (c) Provided further, that in the event of the recruitment of specified number getting completed, before the expiry of the certificate, the holder of the certificate may be permitted by the registering authority, to continue recruitment of additional workers in tranches of 100 workers upto the date of expiry of the certificate, on furnishing additional corresponding security of rupees eight lakh per 100 additional workers."

[F. No. Z-11025/75/2017-Emig]

M. C. LUTHER, Jt. Secy. and Protector General of Emigrants

**Note**: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* notification number S.O. 941(E), dated the 30<sup>th</sup> December, 1983 and were subsequently amended *vide* notification numbers:

1. S. O. 665 (E), dated the 10 <sup>th</sup> September, 1986;
2. G.S.R 111 (E), dated the 24 <sup>th</sup> February, 1987;
3. G.S.R 375 (E), dated the 23 <sup>th</sup> March, 1989;
4. S.O.111 (E), dated the 8 <sup>th</sup> February, 1996;
5. S.O.159 (E), dated the 28 <sup>th</sup> February, 1996;
6. S.O. 526 (E), dated the 22 <sup>th</sup> July, 1996;
7. G.S.R 713 (E), dated the 18 <sup>th</sup> October, 2002;
8. S.O.1205 (E), dated the 14 <sup>th</sup> October, 2003;
9. G.S.R 143 (E), dated the 26 <sup>th</sup> February, 2004;
10. G.S.R 773 (E), dated the 25 <sup>th</sup> November, 2004;
11. G.S.R 50 (E), dated the 6 <sup>th</sup> February, 2006;
12. S.O. 289 (E), dated the 7 <sup>th</sup> March, 2006;
13. S.O. 856 (E), dated the 6 <sup>th</sup> June, 2006;
14. S.O. 2161 (E), dated the 28 <sup>th</sup> December, 2006;
15. S.O.366 (E), dated the 14 <sup>th</sup> March, 2007;
16. S.O.776 (E), dated the 18 <sup>th</sup> May, 2007;
17. G.S.R 658 (E), dated the 15 <sup>th</sup> October, 2007;
18. G.S.R 111 (E), dated the 8 <sup>th</sup> February, 1996;
19. G.S.R 511 (E),dated the 9 <sup>th</sup> July, 2009;
20. G.S.R 726(E), dated the 21 <sup>st</sup> September, 2015;